बोतलाल बनाम कन्हैयालाल वगैरा
प्रकरण संख्या 103 / 2019
निर्णय दिनांक : 26.09.2023

न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

(पीठासीन अधिकारी – रमेश सीरवी पुनाडियॉ, आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्याः– 103 / 2023

दर्ज तिथिः– 27.06.2019

श्री बोतलाल पिता किशनलाल धाकड आयु 65 वर्ष निवासी बांगेडाघाटा तहसील, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़, राज.।

.........प्रार्थी

बनाम्

1. श्री कन्हैयालाल पिता भुवानीराम जाति धाकड आयु वयस्क निवासी बांगेडाघाटा तहसील, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़, राज.।
2. श्री कालुराम पिता रामचन्द्र धाकड आयु वयस्क निवासी बांगेडाघाटा तहसील, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़, राज.।
3. श्री गोपाल पिता मांगीलाल धाकड धाकड आयु वयस्क निवासी बांगेडाघाटा तहसील, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़, राज.।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेडा, जिला चित्तौडगढ़, राज.।

......अप्रार्थीगण

उपस्थित

अधिवक्ताः–

प्रार्थी अधिवक्ता– श्री ज्ञानचन्द्र धाकड
अप्रार्थी संख्या 1 व 2 अधिवक्ता : श्री सुरेन्द्र ओझा
अप्रार्थी संख्या 3 अधिवक्ता : श्री बाबुलाल पाटीदार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–:निर्णयः–

दिनांक 26.09.2023

1. आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–'क' के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के कब्जे काश्त व हाल खातेदारी खसरा संख्या 353 रकबा 0.01 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 354 रकबा 2.10 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 2.11 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम बांगेडाघाटा, पटवार मण्डल बांगेडाघाटा तहसील, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ में अवस्थित है। प्रार्थी की खातेदारी आराजी के समीप स्थित खसरा संख्या 365 की पूर्वी मेड, खसरा संख्या 362 एवं 363 की पश्चिमी मेड से होकर प्रार्थी पूर्व से ही अपनी खातेदारी आराजी तक आता–जाता रहा है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी के पास अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है। अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर खसरा संख्या 365 की पूर्वी मेड, खसरा संख्या 362 एवं 363 की पश्चिमी मेड वाके ग्राम बांगेडाघाटा में से होकर मुख्य सड़क से मुताबिक नजरी नक्शा प्रार्थी की आराजी में आने जाने हेतु रास्ता करीब ... फीट चौडाई एवं उक्त आराजियात की वांछित ... से प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक लम्बाई का नवीन रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:17:57 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 एवं 02 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र ओझा ने एवं अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री बाबुलाल पाटीदार ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी 01 लगायत 03 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल है। अप्रार्थी संख्या 1 श्री

सहायक कलक्टर निम्बाहेड़ा

कन्हैयालाल के अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें अंकित किया गया हैं कि उपरोक्त उनवान के प्रकरण में तहसीलदार, निम्बाहेड़ा की जांच रिपोर्ट पर पर निम्नलिखित आपत्तियां है : जांच रिपोर्ट में प्रतिवादी कन्हैयालाल की खातेदारी आराजी नम्बर 363 रकबा 0.73 हैक्टेयर के दक्षिणी सीमा पर रास्ता बताते हुए इस रास्ते को पूरब की ओर घुमाते हुये आगे खेत तक उत्तरी मेड पर दर्शाया है, क्योंकि आराजी नम्बर 363 की दक्षिणी मेड से रास्ता 4 मीटर चौडा आगे बढ रहा है, और इसी रास्ते को पूर्वी मेड पर भी रिपोर्ट में दर्शाया गया है। जबकि दक्षिणी मेड पर रास्ता आराजी नम्बर 365 और 352 के दक्षिणी सीमा पर से आराजी नम्बर 354 में प्रवेश करता है और 354 प्रार्थी की सहखातेदारी में है। इस रिपोर्ट में जब रास्ता आराजी नम्बर 354 में चला जाता है तो फिर रास्ता आराजी नम्बर 363 की उत्तरी पूर्वी मेड पर कतई आवश्यकता नहीं हैं।

अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें अंकित किया गया हैं कि प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने जिस रास्ते से होकर अपनी खातेदारी में आना जाना बताया है और इसे एकमात्र रास्ता बताया है, मौके पर प्रार्थी की आराजियात पर जाने का रास्ता होने का तथ्य स्वीकार नहीं है। प्रार्थी द्वारा बताये अनुसार कोई रास्ता प्रार्थी का मौके पर मौजूद नहीं है, यह रास्ता 12 फीट होना भी स्वीकार नहीं है यह रास्ता अप्राथीगण संख्या 1, 2 व 3 के खेत पर जाने का रास्ता है, प्रार्थी का कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी का रास्ता आराजी नम्बर 354 के पूर्वी सीमा पर आराजी नम्बर 341 व 357 के बीच की मेड पर से होता हुआ सरकारी रास्ते से आता है, तथा दूसरा रास्ता आराजी नम्बर 351 और 352 की उत्तरी मेड पर से होता हुआ आराजी नम्बर 344 की दक्षिणी मेड से होता हुआ प्रार्थी की आराजियात 354 पर पहुंचता है और इसी रास्ते से प्रार्थी अपनी आराजियात पर आता जाता है।

3. अप्रार्थी संख्या 3 के अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें अंकित किया गया हैं कि तहसीलदार, निम्बाहेड़ा द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया पर्चा मौका एवं जांच रिपोर्ट प्रार्थी की अनुपस्थिति में मनमर्जी से तैयार की गई है। यह कि प्रार्थी की आराजी नम्बर 354 के नजदीक रेकार्डेड रास्ता आराजी नम्बर 284 से प्रार्थी की आराजी में कदीम से आ रहा हैं जबकि पटवारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में उक्त मुख्य रास्ते का कोई हवाला नहीं दिया गया है। प्रकरण में तहसीलदार निम्बाहेड़ा से राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955 के नियम 68 लगायत 70 के अनुसार मौका जॉच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार निम्बाहेड़ा के द्वारा अपने पत्र क्रमांक/राजस्व/2023/1038 दिनांक 18.07.2023 के द्वारा मौका रिपोर्ट प्रेषित की गई। जिसमें अंकित किया गया हैं कि मौजा बांगेडाघाटा की आराजी नम्बर 353, 354 कुल किता 02 कुल रकबा 2.11 हैक्टेयर भूमि श्री गोपाललाल पिता मोतीलाल 1/4 बोतलाल पिता किशनलाल 2/3, रतनलाल पिता टेकचन्द 1/12 धाकड के नाम दर्ज रिकार्ड है। इन आराजियात पर आने जाने हेतु वादी श्री बोतलाल द्वारा आराजी नम्बर 365 की दक्षिणी मेड, आराजी नम्बर 362 की पश्चिमी मेड, आराजी नम्बर 363 की पश्चिमी मेड एवं उत्तरी मेड पर रास्ता चाहा गया है। मौके पर आराजी नम्बर 365 की दक्षिणी मेड, आराजी नम्बर 362 की पश्चिमी मेड, आराजी नम्बर 363 की पश्चिमी मेड से होते हुए आराजी नम्बर 354 की पश्चिमी-दक्षिणी कोने तक रास्ता चालु हालत में है। आराजी नम्बर 353 एंव आराजी नम्बर 354 में प्रतिवादी संख्या 3 श्री गोपाललाल पिता मांगीलाल धाकड 1/4 हिस्सा दर्ज रिकार्ड होकर संयुक्त खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। वादी श्री बोतलाल पिता किशनलाल धाकड द्वारा आराजी नम्बर 363 की उत्तरी मेड पर रास्ता चाहा गया है। प्रतिवादी नम्बर 3 श्री गोपाललाल द्वारा आराजी नम्बर 354 में आने जाने हेतु आराजी नम्बर 284 किस्त रास्ता से आराजी नम्बर 357 की उत्तरी मेड पर रास्ता देने की मांग की है। आराजी नम्बर 354 के पश्चिमी-दक्षिणी कोने तक रास्ता चालू हालत में है। वादी द्वारा चाहे गये प्रस्तावित रास्ते का विवरण निम्नानुसार अंकित किया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:17:57 IST
Reason: SelfAttested

क्र. सं.	नाम ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा	नाम खातेदार	रास्ते का विवरण	2 गुना राशि (डीएलसी अनुसार)
1	बांगेड़ाघाटा	365	0.35	गोपाल पिता मांगीलाल धाकड़	52 X 4 = 208 वर्गमीटर	47380/—
2	बांगेड़ाघाटा	362	0.66	कालुराम पिता रामचन्द्र धाकड़	40 X 4 = 160 वर्गमीटर	36450/—
3	बांगेड़ाघाटा	363	0.73	कन्हैयालाल पिता भुवानीराम धाकड़	140 X 4 = 560 वर्गमीटर	127560/—

प्रतिवादी संख्या 3 श्री गोपाललाल पिता मांगीलाल धाकड द्वारा प्रस्तावित किये गये रास्ते का विवरण निम्नानुसार अंकित किया गया है :

क्र. सं.	नाम ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा	नाम खातेदार	रास्ते का विवरण	2 गुना राशि (डीएलसी अनुसार)
1	बांगेड़ाघाटा	357	0.48	काना पिता मुलिया 1/9, बाबु पिता भागु 1/3, मोती पिता मुलिया 1/9, रतन पिता मुलिया 4/9 जाति बोला सा.देह	68 X 4 = 272 वर्गमीटर	61960/—

3. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने—ए—जिरह प्रार्थना—पत्र में अंकित तथ्यों को मात्र दोहराते हुये अप्रार्थी की खातेदारी आराजी में आने जाने के लिए ग्राम बांगेडाघाटा की आराजी नम्बर 362, 363 एवं 365 में से रास्ता करीब 12 फुट चौडाई का प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक लम्बाई का नवीन रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने का निवेदन किया। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 ने दौराने—ए—जिरह बताया कि अप्रार्थी की आराजी नम्बर 363 की दक्षिणी—पश्चिम मेड से प्रार्थी की आराजी नम्बर 354 सटी हुई है। अतः अप्रार्थी नम्बर 1 की आराजी नम्बर 363 की दक्षिणी मेड से ही रास्ता दिया जावें। न कि दक्षिणी मेड सहित दक्षिणी—पश्चिमी कोने से उत्तर की ओर भी। अप्रार्थी संख्या 1 ने उसकी आराजी नम्बर 363 के दक्षिणी मेड पर रास्ता देने हेतु सहमति प्रदान की।

4. प्रकरण में प्रार्थना पत्र के साथ अप्रार्थी तहसीलदार की मौका—रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा 251—'क' का उद्धरण यहाँ प्रतीत होता है—

धारा 251—क— अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना—(1) जहाँ

(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहता है या

(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है—

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसा अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बधित उपखण्ड़ अधिकारी को आवेदन कर सकेगे, और उपखण्ड़ अधिकारी, यदि संक्षिप्त जॉच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि—

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:17:57 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (राज.) निम्बाहेड़ा—जिला चित्तौड़गढ़
सहायक कलक्टर निम्बाहेड़ा

(1) यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है, और
(2) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट नये मार्ग के मामले में, पहुचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है–
तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम 3 फिट नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसे ट्रैक दर्शित नहीं किया जाये तो **लघुत्तम या निकटतम रूट** से एक नया मार्ग जो 30 फिट से अनाधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाईप लाईन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमार्ग को चौड़ा करने का मार्ग मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

(1) जहॉ–उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का मार्ग मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(2) वे व्यक्ति, जिनको उपधारा (1) में निर्दिष्ठ सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

5. इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–'क' के प्रावधानों की क्रियान्विति हेतु बनाये गये राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955 के नियम 68 लगायत 70 का उद्धरण करना यहां प्रासंगिक प्रतीत होता है जो इस प्रकार है–

68. Application under Sec. 251-A. *- An application for grant of permission under sub-sec. (1) of 251-A of the Act shall be in Form 1.*

69. Enquiry and disposal of application. *- On receipt of an application in Form I, the Sub-Divisional Officer shall either inspect the site himself or get it inspected by an officer not below the rank of the Inspector Land Records and invite objections from the affected persons. The Sub-Divisional Officer after affording an opportunity of being heard to the parties and making such further enquiry as he thinks necessary, if satisfied that-*

(i) the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding; and

(ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative means of access is proved, may allow the application. The application shall be

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:17:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर ... बड़ीसादड़ी–जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

सहायक कलक्टर

decided by the Sub-Divisional Officer within 90 days from the date of application.

70. Determination of compensation. *- (1) The amount of compensation payable under sub-sec. (1) of Sec. 251-A of the Act, shall be determined in the following manner:-*

(i) if the parties mutually agree on the amount of compensation, the Sub-Divisional Officer, shall determine the amount of compensation as per the mutual agreement.

(ii) if the parties do not agree mutually on the amount of compensation, the Sub-Divisional Officer shall determine the amount of compensation for the land equivalent to-

(a) two times of the rates recommended by the District Level Committee constituted under clause (b) of sub-rule (D of Rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004 or the rates determined by the State Government under sub-rule (2) of Rule 58 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004, in the matter of a new way or enlargement or widening of an existing way; and

(b) 10% of the rates recommended by the District Level Committee; constituted under clause (b) of sub-rule (1) of Rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004 or the rates determined by the State Government under sub-rule (2) of Rule 58 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004, in the matter of laying underground pipeline.

(2) In addition to the value of land determined under clause (a) or (b) of sub-rule j (1), if any loss or damages caused due to removal of standing trees, crops or structure, the amount of actual loss or damages shall also be determined.

6. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955, के नियम 68 लगायत 70 के उद्धरण से स्पष्ट है कि धारा 251–क के अन्तर्गत कोई खातेदार अपनी आराजी तक कृषि कार्य बाबत् आमद–रफत हेतु अन्य खातेदारों की आराजी में से होकर रास्ता रिकार्डेड अंकित करवा सकता है। इस हेतु उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क निम्न पूर्वशर्तो को आरोपित करती है जो इस प्रकार है–

   1. *खातेदार की रास्ते बाबत् अन्य रिकॉर्डेड रास्ते के विकल्प की अनुपस्थिति।*
   2. *खातेदार की रास्ते बाबत् आत्यान्तिक आवश्यकता।*
   3. *लघुत्तम दूरी का [illegible] प्रस्ताव।*

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:17:57 IST
Reason: SelfAttested

7. उक्त प्रकरण में प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या–1 में रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता का जिक्र किया है तथा अन्य वैकल्पिक रास्ते की अनुपलब्धता का जिक्र किया गया है। साथ ही तहसीलदार [illegible] शामिल मिसल रिपोर्ट दिनांक 18.07.2023 से इस तथ्य की पूर्णरूप से पुष्टि होती है। तहसीलदार, निम्बाहेडा ने प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ता मौके पर चालु होने का भी अपनी जांच रिपोर्ट में उल्लेख किया है। अतः शर्त संख्या 1 व 2 की पूर्णरूप से पुष्टि होती है। अतः प्रार्थी का नवीन रास्ते बाबत अनुतोष स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–क के तहत आरोपित शर्त संख्या 1 व 2 की पूर्णरूप से पुष्टि होने से प्रार्थी की आराजी तक नवीन रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज करने का अनुतोष

सहायक कलक्टर निम्बाहेडा–जिला चित्तौडगढ़

सहायक कलक्टर निम्बाहेडा

स्वीकार किया जाता है। अब इसके पश्चात इस बिन्दु पर विश्लेषण किया जाना है कि उक्त नवीन रास्ता किस आराजी में से होकर किस रूट से होकर कितनी चौडाई का रास्ता का अनुतोष स्वीकार किया जाना है।

8. इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–क के तहत आरोपित तीसरी शर्त के अनुसार नवीन रास्ते हेतु लघुत्तम मार्ग के विकल्प पर विचार किया जाना आवश्यक है। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी की खातेदारी आराजी हाल खसरा संख्या 365 रकबा 0.35 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 362 रकबा 0.66 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 363 रकबा 0.73 हैक्टेयर वाके ग्राम बांगेडाघाटा में से होकर मुख्य सड़क से उत्तर की ओर मुताबिक नजरी नक्शा प्रार्थी की आराजी में आने जाने हेतु मौके पर चालू रास्ता करीब 12 फुट चौडाई एवं उत्तर दक्षिण लम्बाई से प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक लम्बाई का नवीन रास्ते का प्रस्ताव का निवेदन किया है। अतः उक्त रास्ते को रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने से अप्रार्थी संख्या 1 को कोई आपत्ति नहीं है। साथ ही प्रकरण में तहसीलदार निम्बाहेडा की शामिल मिसल रिपोर्ट दिनांक 18.07.2023 द्वारा लघुत्तम मार्ग बाबत प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित विकल्प का समर्थन करते हुये प्रस्तावित किया गया है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–क के तहत आरोपित तीसरी शर्त के अनुसार नवीन रास्ते हेतु लघुत्तम मार्ग का विकल्प मुताबिक तहसीलदार निम्बाहेड़ा की शामिल मिसल रिपोर्ट दिनांक 18.07.2023 द्वारा प्रस्तावित मार्ग का विकल्प को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है क्योंकि प्रार्थी पूर्व से ही इसी लघुत्तम मार्ग / रास्ते से आता जाता भी रहा है। प्रार्थी द्वारा अपनी जिन खातेदारी आराजियात में आने जाने हेतु रास्ता चाहा गया है उसमें अप्रार्थी संख्या 3 श्री गोपाल पिता मांगीलाल धाकड भी 1 / 4 हिस्से में सह खातेदार है।

9. उक्त प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–क के विधिक प्रावधानों के सन्दर्भ में प्रार्थी हेतु रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक रिकार्डेड रास्ते हेतु अनुपलब्धता एवं तहसीलदार निम्बाहेड़ा के पत्र क्रमांक क्रमांक / राजस्व / 2023 / 1038 दिनांक 18.07.2023 के द्वारा प्रेषित की गई मौका जॉच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क काबिल–स्वीकार योग्य है। अतः तहसीलदार निम्वाहेडा की दिनांक 18.07.2023 की मौका जाँच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के अनुसार प्रस्ताव लघुत्तम मार्ग बतौर 12 फुट चौडा गैर मुमकिन रास्ता नियमानुसार भूमि एवं निर्माण, अगर कोई हो तो, की क्षतिपूर्ति राशि भुगतान पश्चात् राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:17:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर निम्बाहेड़ा–जिला चित्तौड़गढ़

सहायक कलेक्टर
निम्बाहेड़ा

बोतलाल बनाम कन्हैयालाल वगैरा
प्रकरण संख्या 103/2019
निर्णय दिनांक : 26.09.2023

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण हेतु रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक रिकार्डेड रास्ते हेतु अनुपलब्धता एवं तहसीलदार निम्बाहेड़ा द्वारा प्रेषित की गई मौका जॉच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के आधार पर स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेश दिये जाते है कि दिनांक 18.07.2023 की मौका जॉच रिपोर्ट में अंकित प्रस्ताव में इंगित केसरिया रंग से प्रदर्शित 12 फुट चौडाई के हाल आराजी खसरा संख्या 365, 362, 363 वाके ग्राम बांगेडाघाटा में से रास्ते में आयी भूमि, जिसे नजरी नक्शे में बिन्दु ए, बी, सी, डी, ई एवं एफ के मध्य दर्शाया गया है। (नजरी नक्शा पर अंकित संकेत संख्या–1 रास्ता चालु हालात में अनुसार) की एवज में राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955 के नियम–70 के अनुसार क्षतिपूर्ति राशि आंकलित कर नियमानुसार क्षतिपूर्ति राशि वितरित करते हुये नियमानुसार रास्ते को खाता संख्या–1 सिवायचक में सार्वजनिक उपयोग हेतु किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर अंकन किया जावें। दिनांक 18.07.2023 की मौका जॉच रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।

निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार, निम्बाहेड़ा को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 26.09.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर निम्बाहेड़ा–जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

26/9/23

(रमेश सीरवी पुनाडियाँ)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:17:57 IST
Reason: SelfAttested